

न्यायालय रू. अनुमण्डलीय न्यायिक दण्डाधिकारी, दाउदनगर

14.12.2024 आज लोक अदालत के पीठ के समक्ष उभय पक्ष उपस्थित हुए। उभय पक्ष के द्वारा आपस में सुलह हो जाने कि बात कही गई । अतः इस वाद को उभय पक्ष के सहमति पर सुलह के आधार पर इस वाद का निष्पादन किया जाता है। कार्यालय को निर्देश दिया जाता है कि नियमानुसार अभिलेख को अभिलेखागार में जमा करें।

लेखापित

अनु० न्या० द०